कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O) 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/2092 धमतरी,दिनांक:02 /04/2024

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
धमतरी संभाग धमतरी

विषय :– **Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evan Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in Favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Raod i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of raod is proposed under the Forest land Diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarg- reg.**
पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 **दिनांक 04.05.2022**

संदर्भ :–1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/5/2024 - IRO/Raipur/1593 दिनांक 29.02.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–921/637 दिनांक 01.03.2024
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/1299 दिनांक 04.03.2024
4. आपका पत्र क्रमांक/1297/शिल्प–24/वन विभाग/धमतरी, दिनांक 13.03.2024

⊗⊗⊗

विषयांतर्गत धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत् मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य रकबा 37.973 हे. प्रकरण में संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा 05 बिन्दुओ की अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है। जिसकी संसूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त चाही गई 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से आपको लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र 4 के माध्यम से आपके द्वारा उक्त 05 बिन्दुओं की निराकरण संबंधी जानकारी इस कार्यायल को प्रेषित किया गया है। संदर्भित पत्र 4 के माध्यम से प्रेषित जानकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिन्दु क्र. 1 से 4 की जानकारी पूर्ण एवं संतोषप्रद है, किन्तु बिन्दु क्र. 5 के संबंध में आपके द्वारा निम्नानुसार तथ्य दिया गया है:–

स.क्र.	आपत्ति	निराकरण
5	Concerned DFO has mentioned in Part-II and site inspections report that some rare and endangered species of flora and fauna are found in the area. In this regard user agency needs to submit a conservation plan with consultation of the State Forest Government of Chhattisgarh.	प्रस्तावित मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य वर्तमान में मौजूदा सड़क में ही किया जा रहा है। आपके द्वारा प्रस्ताव के भाग–II में जिन वनस्पति एवं प्राणीजगत के दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत है :– प्रथमतः ये प्रजातियां प्रस्तावित वन भूमि व्यपवर्तन के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। वनस्पति एवं प्राणीजगत की दर्शित प्रजातियां दुर्लभ एवं संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है। प्रस्ताव अंतर्गत प्रभावित वनकक्ष 39, 55, 57, 71, 60, 58, 61, 38, 74, 76, 77, 78, 87, 63, 64, 69254, 258A & 266 A, 258, 259 एवं 260के कार्य आयोजना (वर्ष 2018-19 से 2027-28 तक प्रभावशील) के कक्ष इतिहास में इन प्रजातियों के पाये जाने का उल्लेख नहीं है, साथ ही दुर्लभ अथवा संकटापन्न प्रजातियां उल्लेखित नहीं है। (उक्त कार्य अंतर्गत प्रभावित संपूर्ण कक्षों का कक्ष इतिहास की छायाप्रति संलग्न है।) साथ ही विशेष उल्लेखनीय है कि कार्यआयोजना अंतर्गत धमतरी

		वनमंडल में पाये जाने वाले वनस्पतियों की सूची में तेन्दु प्रजाति की बहुलता दर्शित है तथा कार्य आयोजना तालिका क्रमांक 3.2.3 में तेन्दु प्रजाति गत कार्य आयोजना के तुलना में वर्तमान में 6.18% की वृद्धि दर्ज है (तालिकों की छायाप्रति संलग्न है।) इस प्रकार प्रस्ताव के भाग–II में उल्लेखित प्रजातियां दुर्लभ एवं संकटापन्न नहीं है। अतः आवश्यक सुधार करने का अनुरोध है।

उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत होना चाहेंगे कि प्रस्तावित मार्ग के संबंध में संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारियों के प्रेषित प्रतिवेदन तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण के आधार पर भाग–II भरा गया है एवं इसी के आधार पर वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रकरण के गैर वानिकी कार्य हेतु अनुशंसा किया गया है। पूर्व में प्रकरण अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर के पत्र दिनांक 15.06.2023 द्वारा ली गई आपत्ति के पालन में आपके द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.07.2023 के माध्यम से भाग–II के अनुरूप FORM IV में दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की जानकारी को सुधार कर प्रेषित किया गया है। वनमंडलाधिकारी द्वारा भरे गये भाग–II में वर्तमान में किसी भी प्रकार का सुधार/संशोधन किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

अतः भारत सरकार द्वारा चाही गई 05 बिन्दुओं की जानकारी में से बिन्दु क्र. 05 के अनुक्रम में व्यपर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास (भाग–II में उल्लेख अनुसार) पाये जाने वाले दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तत्पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/ 2093 **धमतरी,दिनांक:** 02 **/08/2024**

प्रतिलिपि:— 01. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. **मुख्य वन संरक्षक,** रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

03. **कलेक्टर,** जिला–धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O) 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/1299 धमतरी,दिनांक:04/03/2024

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
धमतरी संभाग धमतरी

विषय :– **Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evan Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in Favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Raod i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of raod is proposed under the Forest land Diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarg- reg.**
पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 **दिनांक 04.05.2022**

संदर्भ :–1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/5/2024 - IRO/Raipur/1593 दिनांक 29.02.2023

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–921/637 दिनांक 01.03.2024

⊗⊗⊗

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evan Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in Favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Raod i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of raod is proposed under the Forest land Diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarg- reg. प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा 05 बिन्दुओ की अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है। जिसकी संसूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छ.ग. के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में चाही गयी 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी इस कार्यालय को 02 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।

E-Despatch

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/1300 धमतरी,दिनांकः 04/03/2024

प्रतिलिपिः– 01. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. **मुख्य वन संरक्षक,** रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

03. **कलेक्टर,** जिला–धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

Scanned with CamScanner